यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रमुख अधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू जिला चिकित्सालय रुद्रपुर उधमसिंह नगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रमुख अधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर उधमसिंह नगर के माह 11/2016 से 01/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री प्रितांशु कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री जतिन राणा, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री बी॰ डी॰ सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 12.02.2018 से 17.02.2018 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस. के. गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अश्विनी कुमार पाण्डेय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विजय कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 01.12.2016 से 08.12.2016 तक श्री शशिकान्त पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2013 से 10/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2). (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जनपद जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर का सम्पूर्ण जनपद रुद्रपुर है|

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत	आधिक्य **(+)**	बचत
2016-17	--	--	887.06	887.06	60.65	60.65	-	-	--	--
2017-18	--	--	861.85	783.25	97.19	6.32	-	78.60	--	90.86

(ब) Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

वर्ष	लागू नही	लागू नही	लागू नही
प्रारम्भिक शेष			
वर्ष के दौरान प्राप्तिया (क) केंद्रान्श (ख) राजयांश (ग) अन्य प्राप्तिया			
व्यय			
अंतिम शेष			

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य(+)/ बचत(-)	ब्याज
2014-15	--	--	--	--	--	--
2015-16	--	--	--	--	--	--
2016-17	--	--	--	--	--	--

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'स' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1). प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

2). महानिदेशक- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

3). निदेशक- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखंड, नैनीताल

4). मुख्य चिकित्सा अधिकारी

5). प्रमुख अधीक्षक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा, विगत लेखापरीक्षा 11/2016 से जनवरी 2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय प्रमुख अधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर उधमसिंह नगर के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी I यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रमुख अधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर उधमसिंह नगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया I प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- 2 (ब)

प्रस्तर- **1:-** धनराशि रु **0.85** लाख के निष्प्रयोज्य सामग्रियों की नीलामी न किया जाना किया जाना एवं रु **21.30** लाख चिकित्सीय उपकरणो का अकार्यशील रहना।

सामान्य वित्तीय नियम के नियम 192 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार भण्डार का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए एवं नियम 196 और 197 के अनुसार अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रयोज्य घोषित कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी की जानी चाहिए ताकि उक्त सामग्री को और मूल्य ह्रास से बचाया जा सके I

कार्यालय प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय रुद्रपुर के उपकरणों/ सामग्रियों सम्बन्धी लेखा-अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2016 के मध्य कुल क्रय धनराशि रु **85000**/- के फर्नीचर/ अन्य सामग्री (अनुलग्नक- A), एवं वाहन सख्या यूए007 D2051 एवं UP02C1378 निष्प्रयोज्य किए गये थे I आगे, वर्ष 2006 से 2007 के मध्य क्रय किए गये कुल धनराशि रु **21,29,880**/- के चिकित्सा उपकरण (अनुलग्नक- B) अक्रियाशील पाये गये जो कि डाक्टर एवं संबन्धित कर्मचारी न होने के कारण निष्क्रिय पड़े हुये थे I विशेषज्ञ व टेक्नीशियन के तैनाती हेतु कोई प्रयास नहीं किये गए, न ही उन चिकित्सा उपकरणों को अन्य चिकित्सालयों में जहाँ उनकी आवश्यकता होती, स्थानांतरित किये गये ।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर प्रमुख अधीक्षक ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि "उक्त निष्प्रयोज्य सामग्री को नीलामी कर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कर दिया जायेगा"; तथा "उक्त सभी अक्रियाशील उपकरणो का लम्बी अवधि से अकार्यशील रहने का कारण संबन्धित चिकित्सक एवं ट्रेंड स्टाफ का उपलब्ध न होना है | उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रयोज्य घोषित कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी कर उक्त सामग्रियों को और मूल्य ह्रास एवं विभागीय प्राप्तियों की हानि से बचाया जाना चाहिये था । साथ ही साथ उपकरणो का लम्बी अवधि से अकार्यशील रहने के कारण आम जनमानस को उपकरणो से होने वाले सुविधा से वंचित रहना पड़ा |

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग- 2(ब)

प्रस्तर-02:- धनराशि रु **37.42** लाख की औषधियों का अनियमित क्रय किया जाना ।

उत्तराखण्ड राज्य हेतु औषधि क्रय नीति विषय पर शासनादेश संख्या– 932/ XXVIII- 4- 2014- 28(8)/ 2012 दिनांक 13 जुलाई 2015 (चिकित्सा अनुभाग- 4) के बिन्दु संख्या 11 में यह निर्देशित किया गया था कि 'प्रत्येक निविदा दात्री फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली औषधि उसके निर्माण की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होंगी' एवं औषधि के प्रत्येक लेबल, कार्टन व अन्य पैकिंग प्रदर्शन पर "UKG सप्लाई", नॉट फार सेल" इंडेलिबल इंक से लिखा जाना अनिवार्य होगा। औषधियों की पैकिंग हेतु दिये गये स्पेसिफिकेसन ही मान्य होगा ।

कार्यालय प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर उधमसिंह नगर के अभिलेखो की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि उक्त नियमों के विपरीत इकाई को कुल :035,96,862/-(संलग्नकA) मूल्य कि ऐसी औषधियों का लगातार महानिदेशालय (चिकित्सा) द्वारा कार्यालय को प्रेषित किया जा रहा है, जिनके भुगतानित वाउचर पर औषधि-निर्माता/ फर्म द्वारा औषधि के निर्माण की तिथि (manufacturing date) अंकित नहीं की गयी थी, इसके अलावा इकाई द्वारा औषधि-निर्माता/ फर्म universal Enterprises को भुगतान किए गए भुगतानित वाउचर(कुल धनराशि (रु01,45,073.00/-) पर औषधि-निर्माता/ फर्म द्वारा औषधि के निर्माण की तिथि (manufacturing date) अंकित नहीं की गयी थी, जिस कारण औषधि-निर्माता/ फर्म द्वारा इकाई को तीन माह से कितनी अधिक पुरानी औषधियों की सप्लाई की गई थी, औषधि-निर्माता/ फर्म के बिल के अनुसार ज्ञात किया जाना संभव नहीं था । निर्माण तिथि से जितनी अधिक पुरानी औषधियों का क्रय होगा, उसका उतने ही कम समय तक औषधालय मे उपयोग हो सकेगा ।

विवरण निम्नवत है :-

संलग्नक **(A)**

Sr. No.	Bill No.	DATE	MFG DATE	TOTAL AMOUNT
01	1031180100056	27-01-2018	Not mentioned	165514.40
02	1031180100057	27-01-2018	Not mentioned	105692.80
03	7670	05-12-2017	Not mentioned	314154.34
04	7636	03-10-2017	Not mentioned	341541.54
05	7553	19-06-2017	Not mentioned	138380.15
06	7509	30-05-2017	Not mentioned	1670645.25
07	---	-----	Not mentioned	138380.15
08	7329	19-12-2016	Not mentioned	1094420.10
09	7396	27-02-2017	Not mentioned	722554.25
			Grand Total	3596862.88

Universal Enterprises				
01	8900	29-04-2017	Not mentioned	58771.00
02	8899	29-04-2017	Not mentioned	4988.00
03	8898	29-04-2017	Not mentioned	10410.00
04	8897	29-04-2017	Not mentioned	23549.00
05	015(kanika Entp.)	25-05-2017	12-2016(delay3month)	47355.00
			Grand Total	145073.00

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय रुद्रपुर, उधमसिंह नगर ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि औषधियाँ महानिदेशालय से प्राप्त होती हैं जिसमे निर्माण की तिथि (manufacturing date) अंकित नहीं होती है एवं उक्त शासनादेश के सम्बंध महानिदेशालय स्तर से कार्यवाही की जानी है | उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि उत्तराखण्ड राज्य हेतु औषधि क्रय नीति विषय पर शासनादेश संख्या–932/ XXVIII- 4- 2014- 28(8)/ 2012 दिनांक 13 जुलाई 2015 (चिकित्सा अनुभाग- 4) के दिशा-निर्देश का उलंघन कर कार्यालय प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय रुद्रपुर, उधमसिंह नगर द्वारा औषधि-निर्माता/ फर्म universal Enterprises को कुल धनराशि **(रु0**1,45,073.00/-) का औषधि क्रय कर, भुगतान किया गया था |

अतः धनराशि रु **37.42** (रु0 35,96,862/-+रु0 1,45,073/-) लाख के औषधियों के अनियमित क्रय किये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**	**TAN**
2007-08/ AIR- 44	**1, 2, 3**	1, 2, 3 & 4	NIL	--
2008-09/ AIR- 176/ 91	**NIL**	1	1, 2 & 3	--
SS/ AIR-53/ 2012-13	**NIL**	1 & 2	NIL	TAN- 1, 2, 3 & 4
SS/AIR/105/2016-17	**NIL**	1, 2, 3, & 4	NIL	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
2007-08/ AIR- 44	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- 1, 2, 3 एवं भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1, 2, 3, 4	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता हैI	--
2008-09/ AIR- 176/ 91	भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1 STAN- 1, 2, 3	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता हैI	--
SS/ AIR-53/ 2012-13	भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1, 2 TAN- 1, 2, 3 & 4.	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता हैI	--
SS/AIR/105/2016-17	भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1, 2, 3, 4	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता हैI	--

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय प्रमुख अधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर उधमसिंह नगर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
डॉ0 टी. सी. पन्त	प्रमुख अधीक्षक	16.08.2016 से 09.05.2017
डॉ0 अमिता उप्रेती .	प्रमुख अधीक्षक	10.05.2017से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्रमुख अधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर उधमसिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) महालेखाकर भवन, कौलागढ़, देहरादून, उत्तराखंड," को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.